17.	असम	3	8,241
18.	हिमाचल प्रदेश	12	992
19.	जम्मू व काश्मीर	1	1,396
20.	मणिपुर	1	1,000
21.	मेघालय	—	—
22.	मिजोरम	3	1,775
23.	नागालैण्ड	—	—
24.	सिक्किम	1	1,000
25.	त्रिपुरा	3	1,583
26.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1	500
27.	चण्डीगढ़	—	—
28.	दादरा व नगर हवेली	1	45
29.	दमन व द्वीप	—	—
30.	पांडिचेरी	—	—
31.	दिल्ली	—	—
	योग :	96	1,76,614

बीजों की नई किस्मों का विकास

*834. **श्री रामजी लाल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नये बीजों के प्रयोग से पहले की तुलना में कृषि उत्पादन में किस सीमा तक वृद्धि हुई है ;

(ख) भारत की बढ़ती हुई आबादी को देखते हुए सरकार द्वारा बीजों की कौन-कौन सी नयी किस्मों का विकास किया जा रहा है ;

(ग) क्या बीजों की उक्त किस्मों के कारण ईस्वी सन 2000 तक खाद्यान्नों के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर लिये जाने की सम्भावना है ; और

(घ) क्या इन बीजों के सही प्रयोग के बारे में किसानों को शिक्षित किया जा रहा है ; और यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) अन्य आदानों के साथ-साथ अधिक उपज देने वाली नई किस्मों के बीजों के उपयोग से खाद्यान्न का उत्पादन 1966-67 के 74.2 मिलियन मी. टन से बढ़कर 1993-94 के दौरान 182.1 मिलियन मी. टन हो गया है । इसी अवधि के दौरान तिलहन का उत्पादन 6.4 मिलियन मी. टन से बढ़कर 21.5 मिलियन मी. टन गन्ने का उत्पादन 92.8 मिलियन मी. टन से बढ़कर 227.6 मिलियन मी. टन तथा कपास का उत्पादन 5.27 मिलियन गांठ से बढ़कर 10.7 मिलियन गांठ हो गया है ।

(ख) नई किस्मों का विकास एक सतत प्रक्रिया है तथा बढ़ती हुई आबादी की मांग पूरी करने के लिए बेहतर किस्मों और संकर किस्मों के विकास हेतु प्रयास जारी है । विभिन्न फसलों की संकर और नई किस्मों के विकास पर बल दिए जाने से सामान्य रूप से यह देखने में आया है कि वर्तमान मानक किस्मों के मुकाबल उपज में 10-15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है ।

(ग) देश ने खाद्यान्न उत्पादन के मामले में पहले ही आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। फिर भी विभिन्न फसलों में विकसित और/विकास की जा रही बेहतर किस्मों और संकर किस्मों से यह आशा की जाती है कि इनसे वर्ष 2000 ई. तक खाद्यान्नों की और अधिक आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद मिलेगी।

(घ) विभिन्न कार्यक्रमों अर्थात् बीज मिनिकिट प्रदर्शन, प्रमाणित बीजों के वितरण तथा विभिन्न फसल उत्पादनोन्मुख फसल विकास योजनाओं जैसे विभिन्न कार्यक्रमों के जरिए पर्याप्त मात्रा में तथा समय पर क्वालिटी बीजों के उपयोग का प्रचार किया जा रहा है। राज्य कृषि विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केन्द्रों तथा कई अन्य विस्तार एजेंसियों को किसानों को प्रोद्योगिकी अंतरण में नियमित रूप से शामिल किया जाता है।

नेपाली भाषा के विकास हेतु सुविधाएं

*835. **श्री महेश्वर सिंह :**

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मान्यता प्राप्त भाषाओं को प्रोत्साहित करने हेतु सरकार द्वारा कौन-कौन सी सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं ;

(ख) क्या कुछ संगठनों ने, नेपाली भाषा को संविधान की आठवीं अनुसूची में सम्मिलित करने के उपरान्त, इस भाषा को प्रोत्साहित करने के लिए समान सुविधायें प्रदान करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय के समक्ष लिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं ; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री माधवराव सिंधिया) : (क) भारत सरकार भाषाओं के विकास में निम्नलिखित के जरिये सहायता प्रदान करती है :

(i) प्रशिक्षण और अनुसंधान के लिए केन्द्रीय भारतीय भाषा संस्थान;

(ii) शिक्षण, प्रकाशनों, विचार-गोष्ठियों, अनुसंधान अध्ययनों, इत्यादि सभी कार्यक्रमों के माध्यम से भाषाओं के प्रचार प्रसार और विकास के लिए स्वैच्छिक संगठनों को वित्तीय सहायता।

(iii) आधुनिक भारतीय भाषाओं के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए राज्य सरकारों को सहायता।

(ख) और (ग) श्री महेश्वर सिंह, संसद सदस्य (राज्य सभा) के माध्यम से अखिल भारतीय नेपाली भाषा समिति, देहरादून ने अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है जिसमें नेपाली भाषा के विकास और प्रचार-प्रसार के लिए भारत सरकार का हस्तक्षेप और उनकी सहायता का सुझाव दिया गया है। सुझावों में निम्नलिखित शामिल हैं :

(i) मानव संसाधन विकास मंत्रालय में नेपाली अकादमी विभाग को बनाना जहां से नेपाली साहित्य, संस्कृति और कला का प्रचार-प्रसार और विकास किया जा सके ;

(ii) नेपाली लेखकों, कवियों और कलाकारों के प्रशिक्षण और उन्नयन के लिए एक राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की जाये,

(iii) मानव संसाधन विकास मंत्रालय के कार्यालयों को असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में स्थापित किया जाना जहां कि नेपाली-भाषी लोग रहते हैं।

सरकार में नेपाली अकादमी विभाग स्थापित करने के लिए फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। साथ ही विभिन्न राज्यों में मंत्रालय के बहुत अधिक कार्यालयों को खोलना व्यवहार्य नहीं समझा गया है। यदि